न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत – बासना
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 133/2021

वादी

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र स्व. अनाराम, जाति सीरवी सा0 अटपड़ा तहसील सोजत, जिला पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955
सपठित धारा 136 एल आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र परिहार, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत (लैण्ड होल्डर) अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक 10.11.2021**

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एलआरएक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम अटबडा पटवार हल्का अटबडा, तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा नंबर 4091/1 रकबा 1.28 हैक्टर, 4395 रकबा 1.59 हैक्टर, 3042 रकबा 0.5200 हैक्टर, 3070 रकबा 0.58 हैक्टर, 3107 रकबा 0.52 हैक्टर, 2589 रकबा 0.49 हैक्टर, 2602 रकबा 1.36 हैक्टर, 2574 रकबा 1.41 हैक्टर, 2577 रकबा 2.71 हैक्टर, 2578 रकबा 3.25 हैक्टर, 2604 रकबा 5.17 हैक्टर, 2575 रकबा 0.01 हैक्टर, 2576 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बा0दो0 बा0अ0 से0अ0 चा0दो0 जा0दो0 गै0मु0बेरा सड़ा की कृषि भूमि संयुक्त सामलाती कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादी का हक हिस्सा आया हुआ है। वादी का पिताजी अनाराम पुत्र लुम्बाराम के स्वर्गवास के पश्चात फौतेदगी म्युटेशन वादी के भाई देवाराम ने भरवाया। वक्त फौतेदगी म्युटेशन संख्या 1281 भरते समय वादी के भाई ने वादी का नाम दुर्गाराम अंकित करवा दिया है, चुंकि वादी को घर परिवार लाड प्यार से दुर्गाराम के नाम से जाना पहचाना पुकारा जाता है। राजस्व रेकर्ड में वादी का गलत एवं सेवन से दर्ज दुर्गाराम पुत्र अनाराम दर्ज हो जाने से वादी को उक्त कृषि भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण, किसान कार्ड बनाने आदि में भारी असुविधा व कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी के नाम से आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पास बुक आदि बने हुए है, जिसमें वादी का नाम राजेन्द्र चौधरी पुत्र अना दर्ज है, जो सही है। वादी बाहर बैंगलोर निवास करता है। वादी ने हाल ही कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का अटबडा से जमाबंदी नकल प्राप्त करने हेतु संपर्क किया तो जानकारी में आया कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलती एवं सेवन से दुर्गाराम पुत्र अनाराम दर्ज है। जिससे पूर्व वादी को राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन की कोई जानकारी नही थी। जिस पर वादी श्रीमान तहसीलदार साहब सोजत के समक्ष उपस्थित हुआ तो श्रीमान तहसीलदार साहब सोजत ने वादी को सक्षम न्यायालय में धारा 88 आर.टी.एक्ट. का दावा पेश करने हेतु कहा। इसलिये यह वाद श्रीमान के समक्ष धारा 88 आर.टी. एक्ट. का पेश है। वादी की कृषि भूमि सरहद मौजा अटबडा में स्थित होने से बमुकाम अटबडा में वाद पैदा हुआ है। उक्त वर्णित खसरात की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अना शुद्धि किये जाने की घोषणा फरमाई जाकर वादी के नाम की खातेदारी घोषित कर रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादस्थ कृषि भूमि मौजा अटबडा तहसील सोजत में स्थित होने एवं वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की, कि वादस्थ कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व

उप खण्ड अधिकारी
... जिला पाली राज.

रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अना के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाजी के नाम से दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत द्वारा ने ज0दा0 पृथक से जबाब दावा पेश करना नहीं चाहने से जबाब दावा बंद किया गया। भू0अ0निरी0 एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट सा0मि0 की गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 को पेश कर अंकित किया कि ग्राम अटबडा के खातेदार राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पिता अनाराम जाति सीरवी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में ग्राम अटबडा के नामान्तरकरण संख्या 1281 में दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर सही नाम राजेन्द्र चौधरी पुत्र अनाराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। ग्राम अटबडा के खाता संख्या 590 के खसरा नंबर 2602, खाता संख्या 586 के खसरा नंबर 2574 से 2578 व 2604 एवं खाता संख्या 607 के खसरा संख्या 2589, 3042, 3070, 3107, 4091/1 एवं 4395 में नामान्तरकरण संख्या 1281 स्वीकृत दिनांक 20.05.2001 में अनाराम पुत्र लूम्बाराम के विरासत में देवाराम दुर्गाराम गेनाराम पिता अनाराम जाति सीरवी दर्ज कर दिया गया जो कि वर्तमान जमाबंदी में भी चल रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक डायरी एवं पेनकार्ड में राजेन्द्र चौधरी पुत्र अनाराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का सही नाम दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी पुत्र अनाराम दर्ज किया जाना उचित दर्शाया है। अधिवक्ता मय वादी द्वारा वादी राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पीडब्ल्यु–1 तस्दीकसुदा शपथ–पत्र सहखातेदार देवाराम के पुत्र सुनिल तथा स्वतंत्र गवाह संदीपसिंह के शपथ–पत्र पेश किये सा0मि0 किये गये।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021 में आयोजित राजस्व कोर्ट केम्प बासना पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाराम के नाम से दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात सहखातेदार/स्वतंत्र गवाह के शपथ–पत्र एवं प्रमाण पत्र सरपंच एवं मौका रिपोर्टनुसार वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा मानवीय/सदभाविक चूंक/भूलवश उक्त प्रविष्टि को अंकित कर दिया गया जबकि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाराम के नाम से दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा अटबडा पटवार हल्का अटबडा, तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान कृषि भूमि के खसरा नंबर 4091/1 रकबा 1.28 हैक्टर, 4395 रकबा 1.59 हैक्टर, 3042 रकबा 0.5200 हैक्टर, 3070 रकबा 0.58 हैक्टर, 3107 रकबा 0.52 हैक्टर, 2589 रकबा 0.49 हैक्टर, 2602 रकबा 1.36

क्टर, 2574 रकबा 1.41 हैक्टर, 2577 रकबा 2.71 हैक्टर, 2578 रकबा 3.25 हैक्टर, 2604 रकबा 5.17 हैक्टर, 2575 रकबा 0.01 हैक्टर, 2576 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बा0दो0 बा0अ0 से0अ0 चा0दो0 जा0दो0 गै0मु0बेरा सड़ा कृषि भूमि वादी व इनके भाईयो के संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूंक/भूलवश गलत रूप से दर्ज वादी का नाम बतौर खातेदार दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाराम के नाम से दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – बासना

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, शिविर ग्राम पंचायत बासना में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर मजमा ए आम में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – बासना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र स्व. श्री अनाराम, जाति सीरवी तहसील सोजत, जिला पाली।	1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

सपठित धारा 136 एल आर एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 133/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र परिहार तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि ग्राम अटबडा पटवार हल्का अटबडा, तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान कृषि भूमि के खसरा नंबर 4091/1 रकबा 1.28 हैक्टर, 4395 रकबा 1.59 हैक्टर, 3042 रकबा 0.5200 हैक्टर, 3070 रकबा 0.58 हैक्टर, 3107 रकबा 0.52 हैक्टर, 2589 रकबा 0.49 हैक्टर, 2602 रकबा 1.36 हैक्टर, 2574 रकबा 1.41 हैक्टर, 2577 रकबा 2.71 हैक्टर, 2578 रकबा 3.25 हैक्टर, 2604 रकबा 5.17 हैक्टर, 2575 रकबा 0.01 हैक्टर, 2576 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बा0दो0 बा0अ0 से0अ0 चा0दो0 जा0दो0 गै0मु0बेरा सड़ा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूँक/भूलवश गलत रूप से दर्ज वादी का नाम बतौर खातेदार दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाराम के नाम से खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में दुर्गाराम पुत्र अनाराम के स्थान पर राजेन्द्र चौधरी उर्फ दुर्गाराम पुत्र अनाराम के नाम से दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.11.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत सजबासना

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.